

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

क्रमांक 4 / रा०ब०सहा०नि० / एफ-२९२ / सेल-१ / २०१८ / १८६ भोपाल, दिनांक ६/०३/२०१८
प्रति,

समस्त,
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय:- राज्य बीमारी सहायता निधि अन्तर्गत सी.एच.एल हॉस्पिटल, इन्दौर की मान्यता स्थगित करने बाबत।

--००--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि राज्य बीमारी सहायता निधि अन्तर्गत श्री विजय वर्मा निवासी-अजंड जिला बड़वानी को सी.एच.एल हॉस्पिटल, इन्दौर में उपचार हेतु स्वीकृत प्रकरण की जांच की कार्यवाही प्रचलन में होने के कारण सी.एच.एल हॉस्पिटल, इन्दौर को मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि के आदेश क्र ०४ / रा.बी.स.नि / सेल-२ / २०१६ / ४३०, दिनांक ०२.०९.२०१६ द्वारा दी गई मान्यता आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।



संचालक

स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.
भोपाल, दिनांक ६/०३/२०१८

पृ.क. 4 / रा०ब०सहा०नि० / एफ-२९२ / सेल-१ / २०१८ / १८७

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ प्रेषित।

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, आई.टी.सेल, स्थानीय कार्यालय।
4. समस्त, संभागीय आयुक्त (राजस्व), मध्यप्रदेश।
5. समस्त, अधिकारी, विकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
6. समस्त, कलेक्टर मध्यप्रदेश।
7. समस्त, क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक, मध्यप्रदेश।
8. समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
9. संचालक, सी.एच.एल हॉस्पिटल, एल.आई.जी. रोड, ए.बी.रोड, इन्दौर म.प्र।
10. प्रभारी, एम.आई.एस. डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11. रिशिका श्रीवास्तव, Assistant Marketing Executive, एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड निरूपम शॉपिंग मॉल, 2nd फ्लोर, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल की ओर भेजकर लेख है, कि निर्देशानुसार आगामी आदेश तक राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के ऑनलाइन पोटल पर उक्त हॉस्पिटल को स्थगित रखा जाये।


संचालक
स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र.